

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती सन्तोषदेवी बनाम जमरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 47/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सन्तोषदेवी</u>  <del>पत्नी</del> श्री <u>रामस्वरूप जी भीणा</u>  निवासी <u>गणपति कोलोनी धावण्डा कं मठ पोस्ट साधरपुरा तहसील जमवारागाठ जिला जयपुर</u>  <u>गरोल (प० ह० केलजर)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>136/122</u>  <u>99</u> <u>1.3100</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>1.5000</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गरोल (प० ह० केलजर तहसील)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>136/122</u>, <u>99</u>  <u>1.3100</u>, <u>0.1900</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>1.5000</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>150000</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार पंच सौ रुपए</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>3</u>  <b>(बिनु देवल)</b>  सहायक कलक्टर एवं  उपखण्ड अधिकारी  चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>